क्रम-संख्या–162(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025

आश्विन 8, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 1466/छः-पु0-9–2025–1962926
लखनऊ, 30 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0–206

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 3, सन् 1867) की धारा–2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिला बदायूँ में मेला ककोड़ा ग्राम–कादरगंज खाम, परगना–निधिपुर, तहसील–पटियाली जिला–कासगंज जिसमें उक्त मेला के 8 किलोमीटर अर्द्धव्यास के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट है, दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 12 नवम्बर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्धों (जिनका विस्तार पहले नहीं किया गया है) का विस्तार करते हैं।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1466/VI-P-9–2025-1962926, dated September 30, 2025:

No. 1466/VI-P-9–2025-1962926

Dated Lucknow, September 30, 2025

IN exercise of the powers under Section 2 of the Public Gambling Act, 1867 (Act no. 3 of 1867) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to extend all the

provisions of the said Act (as do not stand already extended) to the District Badaun Mela Kakoda Village-Qadarganj Kham, Pargana-Nidhipur, Tehsil-Patiyali, District Kasganj which comprises the area within a radius of 8 kilometres of the said Mela for the period from October 29, 2025 to November 12, 2025 (both days inclusive).

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 267 राजपत्र–2025–(786)–599+05=609 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

267 RPH (Grih Police Anu.-9) 2025-data-4E